फर्द अहकाम

(नियम 16)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धौलपुर बनाम वीरेन्द्र सिंह पुत्र सीयाराम

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेसी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 17 सन् 2026

GCMS No. 2026/ 11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री पंकज कांत प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1.श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सीयाराम पता– ग्राम आम का पुरा पोस्ट खुडिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 328025 2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह पता– ग्राम आम का पुरा पोस्ट खुडिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 328025 गारंटर– श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामहेत पता– ग्राम गांधेरी, तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 328025 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 06.09.2024 को रूपये 20,00,000 (बीस लाख) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री सियाराम एवं श्रीमती सुनीता पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह के कार लोन (टर्म लोन) में महिन्द्रा स्कॉर्पियो–एन का हाईपोथिकेशन–रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे11–यूए–5574, चेचिस नम्बर एमए1टीजे2वाईडी6आर6एफ70646, इंजिन नम्बर वाईडीआर4एफ65841, माह एवं वित्तीय वर्ष–सितम्बर 2024 ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 09.11.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 10.11.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 18,84,560.48/– दिनांक 10.11.2025 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री सियाराम एवं श्रीमती सुनीता पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह के कार लोन (टर्म लोन) में महिन्द्रा स्कॉर्पियो-एन का हाईपोथिकेशन-रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे11-यूए-5574, चेसिस नम्बर एमए1टीजे2वाईडी6आर6एफ70646, इंजिन नम्बर वाईडीआर4एफ65941, जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,